Estd-1998
UB OBC EWA,UP

यूनियन बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)
कर्मचारी कल्याण संघ, उत्तर प्रदेश
संपर्क : क्षेत्रिय कार्यालय, चन्द्रा चैम्बर, सिकरौल, वाराणसी
मोबाइल : 9918306777,
E-mail id : aiobc.up@gmail.com
www.aiobc.org
संगठन ही शक्ति है
संगठन
परिपत्र संख्या : 1/24
वर्ष: 2024, माह: अक्टुबर, तिथि : 02 अक्टुबर 2024
केवल आंतरिक परिचालन हेतु

# संगठन कार्यकारिणी परिषद की वार्षिक बैठक का आयोजन लखनऊ में दिनांक 22 सितम्बर 2024 को सम्पन्न

ऑल इंडिया यूनियन बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष श्री जी0 करूणानिधि का स्वागत करते हुए कार्यकारिणी के सदस्यगण

साथियों, दिनांक 22 सितम्बर 2024 को लखनऊ स्थित होटल लिनेज में संगठन की वार्षिक कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रान्तीय पदाधिकारियों के साथ साथ वाराणसी एवं लखनऊ अंचल के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थ कुल 60 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। व्यक्तिगत कारणों से हल्द्वानी और चंदौली के प्रतिनिधि नहीं उपस्थित हो पाए। बैठक कई मायनों में, विशेषकर, आयोजन की गुणवत्ता, प्रतिनिधियों का उत्साह एवं श्री जी0 करूणानिधि जी की उपस्थिति आदि के कारण यह आयोजन विशिष्ट रहा।

बैठक के मुख्य अतिथि श्री जी0 करूणानिधि, चेन्नई तमिलनाडु से आकर भाग लिए जो अखिल भारतीय ओबीसी कर्मचारी महासंघ के महासचिव हैं। श्री जी0 करूणानिधि ने सभा को संबोधित करते हुए भारत सरकार के समक्ष लंबित मुद्दों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। यूनियन बैंक प्रबंधन को संगठन के प्रति सहयोगात्मक व्यवहार के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यूनियन बैंक प्रबंधन 1996 से ही, जब से संगठन का निर्माण हुआ है, हमेशा ही सहयोग मिला है, हालांकि कुछ लंबित मुद्दे हैं जिनके शीघ्र निपटारे की उम्मीद जताई। सभा ने वार्षिक गतिविधियों की समीक्षा करते हुए आगामी वर्ष 2024–25 के लिए रणनीति पर विचार विमर्श की। संगठन की यूनिट सचिवों ने अपनी एक्टीविटी रिपोर्ट पेश की एवं संगठन द्वारा ट्रस्ट के नाम वाराणसी में शक्ति भवन के

श्री जी0 करूणानिधि, कार्यकारिणी सभा के दौरान अपने सम्बोधन के साथ 26वें स्थापना दिवस पर मोमेन्टो जारी करते हुए

यूनियन बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ, उत्तर प्रदेश के महासचिव डॉ0 अमृतांशु, बैठक को सम्बोधित करते हुए

निर्माण संबंधी रणनीति पर चर्चा की गई एवं निर्माण के समय आवश्यक धनराशि एकत्र करने हेतु यथासंभव सहयोग के लिए पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया। बैठक में कुल चार एजेन्डे पेश किए गए जिन्हें सर्वसम्मति से पारित करते हुए उत्तर प्रदेश के सोसायटी एक्ट 1860 के अन्तर्गत संगठन के बॉयलॉज में संशोधन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें प्रमुख एजेन्डा संगठन के पंजीकृत बॉयलॉज में पदाधिकारियों के पदों की संख्या में वृद्धि करने एवं क्षेत्रीय सचिवों को बॉयलॉज में स्थान देने संबंधी है।

बॉय–लॉज संशोधन संबंधी एजेंडा –

1. Agenda related to **increase/decrease** - post of office bearers in State body.
   - As per amendment approved : new structure of office bearers posts will be implemented from the next General Body in 2026 - New Posts are - Adviser-1, Working President-1, President-1, Vice President-4, General ecretary-1, Dy. General Secretary-1, Organising Secretary-2, Woman Organising Secretary-2, Asstt. General Secretary-8, Office Secretary-1, Treasurer-1, Asstt. Treasurer-1, Secretary – as per number of Regions of the Zones (Each region will have one Secretary)
   **They will be the Regional Secretary also in the Region, Executive Committee Member** ( Each region will have 2 Member) As approved by respective General Body and Max ceiling will be 50.

1A. **Regional Unit** – At all Regions of Bank in UP, there will be a committee of 10 local office bearers including **Regional Secretary.**

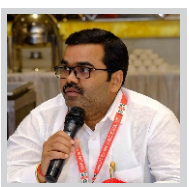

2. 7 Founder Member of Association : Will be elected to any post even after retirement, Besides this all the founder member will be Executive Committee Member for their entire life. They may attend all the meetings. A formal invitation will be sent to all the Founder Members for the meetings. Association will have to maintain the dignity of all the founder members in the meetings with proper sitting arrangements and welcome felicitation.
3. Appointment of Auditor to audit Accounts of Association - Shri Anand Bihari Singh Chartered Accountant, (PARTNER) A.B.A.S.&CO. FRN : 022103C,GHAZIPUR

उपस्थित पदाधिकारियों ने संगठन के विस्तार पर गम्भीरतापूर्वक चर्चा की और उत्तर प्रदेश के दोनों अंचलों में कुल ओबीसी कार्मिकों की संख्या 2340 के समक्ष मार्च 2025 से पूर्व 2050 सदस्यों के लक्ष्य पूरा करने की सहमति बनी। कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में सदस्यों की संख्या काफी कम है, जहां कार्य करने की आवश्यकता है।

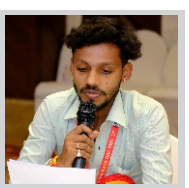

साथियों, संगठन की आवश्यकता क्यों है। संगठन से जुड़ने के कारण क्या हैं। संगठन को मजबूत करना क्यों आवश्यक है। ऐसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हर ओबीसी को जानना चाहिए। मैंने पिछले 26 वर्षों के दौरान विभिन्न पत्रों अथवा संवाद के माध्यम से आपतक यह बात पहुंचाने की कोशिश की है कि संगठन क्यों आवश्यक है। जैसे एक सवाल आप करें कि पृथ्वी की प्राकृतिक संपदा जैसे जमीन, खनिज लवण, कोयला,पानी, पेड़ आदि नैसर्गिक संपदाओं पर किसका अधिकार होना चाहिए। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि क्या इन प्राकृतिक संपदाओं पर समाज के कमजोर जातियों, कमजोर समुदाय के लोगों का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। यदि आप कहें कि हॉ इन पर भी हमारा अधिकार होना चाहिए। बस, यहीं से शुरू होता है संघर्ष। क्योंकि यहीं से आपके समक्ष वर्चस्ववादी लोगों से टकराने की चुनौती शुरू हो जाती है।

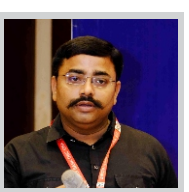

आप जानते हैं कि वर्ष 1993 के पहले जब भारत में मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ था, तब भारत के विभिन्न सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व अत्यंत कम था। आप अपने बैंक में ही देख सकते हैं। वर्ष 1993 और 2024 के आंकड़ों को देखें तो पाएंगें कि मंडल कमीशन के कारण ओबीसी का प्रतिनिधित्व इन 30 वर्षो में सम्मानजनक हुआ है।

आप थोड़ा रूक कर सोंचे तो पाएगें कि मंडल कमीशन को भारतीय संसद पटल पर लाकर भारत की सरकार ने किन परिस्थितियों में लागू किया। पूरे देश भर के आंदोलनों को याद कीजिए।

सभागार का आकर्षक दृष्य, प्रतिनिधियों के साथ बैंक के विभिन्न विषयों पर चर्चा

पूरा देश इसीलिए जल रहा था कि ओबीसी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण न दिया जाए। दो महीने में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व0 श्री वी0पी0सिंह की सरकार गिर गई थी। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के 9 सदस्यी जजों की संविधानिक पीठ ने मंडल कमीशन लागू करने की स्वीकृति दी।

आज जो ओबीसी इस आरक्षण का लाभ लें रहे हैं, जिनके बच्चे इसका लाभ ले रहें हैं, क्या उनका यह दायित्व नहीं है कि इस आरक्षण को बनाए रखने की लड़ाई लड़ने वाले संगठनों का वे साथ दें। अलबत्ता देखा यह जाता है कि लाभ लेने वालों में बहुत कम किसी आंदोलन में शरीक होते हैं। मंडल कमीशन के लागू होने के बाद भारत के वित्त मंत्रालय ने ओबीसी संगठन के निर्माण और संगठन को बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में अर्द्धवार्षिक वार्ताएं करने के दिशा निर्देश दिएं। इन वार्ताओं के दौरान बैंक स्तर की ओबीसी कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न कल्याणकारी विषयों पर विस्तार से चर्चा होती है और बैंक प्रबंधन उसे लागू करता है।

आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में संगठन के पिछले 30 वर्षों के प्रयासों का नतीजा है कि संगठन को देश स्तर पर पहचान मिली। भारत के लगभग सभी राज्यों में संगठन की यूनिटें निर्मित हुई हैं।

- आज संगठन केन्द्रीय कार्यालय में वर्ष में दो, क्षेत्रीय कार्यालय में दो, अंचल कार्यालय में एक निर्धारित वार्ताएं करने के लिए अधिकृत है।
- केन्द्रीय कार्यालय के निर्देशानुसार संगठन द्वारा अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए प्रत्येक प्रोन्नति परीक्षा से पूर्व 5 दिनों की ओटीपी सुलभ कराई जाती है। वर्ष 2015 में संगठन ने मांग रखी कि जिन राज्यों में संगठन कार्य नहीं कर रहा उन राज्यों में भी बैंक द्वारा ओटीपी का आयोजन किया जाए। कार्मिकगण ध्यान दें कि यह संगठन की कोशिश है जिसके कारण 2015 के बाद उन राज्यों में भी हमारा प्रबंधन 3 दिनों के लिए ओटीपी कराने के लिए तैयार हो गया। कार्मिकगण यह ध्यान दें कि ये 5 दिनों की ओटीपी जो संगठन द्वारा अपने राज्य में कराई जाती है वह पूरी तरह ऑफिशियल है। इसमें सभी कर्मचारियों, अधिकारियों को उनके पदानुसार होटल में रूकने की व्यवस्था, यात्रा व्यय, दैनिक भत्ता नियमानुसार दी जाती है। साथियों यह संगठन की ऐतिहासिक उपलब्धि है।
- हम संगठन के प्रतिनिधियों को आरक्षण पर तीन दिवसीय कार्यशाला और डिफेन्श प्रतिनिधियों के लिए भी तीन दिवसीय कार्यशाला के लिए नामित करते हैं।
- इसके अलावा संगठन अपने ओबीसी कार्मिकों के लिए प्रत्येक प्रोन्नति में उचित प्रतिनिधित्व की मांग प्रबंधन से करता रहा है।

अतः कार्मिकों से अपील है कि वे संगठन की सदस्यता लें एवं संगठन को मजबूत करें।
भारत सरकार के समक्ष कई मामले अभी लंबित हैं जिन्हें संगठन ने उठाया है। जैसे भारत सरकार द्वारा लागू 6 अक्टूबर 2017 को क्रिमीलेयर संबंधी निर्देश जिसमें बैंक के सभी अधिकारियों को क्लास 1 यानी भारत सरकार के ग्रुप ए में वर्गीकृत कर दिया गया है और वे आरक्षण के दायरे से बाहर हो गए हैं। संगठन की मांग है कि प्रत्येक साक्षात्कार पैनेल में ओबीसी का सदस्य अनिवार्य किया जाए। कई अन्य मांगे हैं जिसे प्राप्त करने के लिए संगठन प्रयासरत हैं।

# RESOLUTION

## Adopted at the General body meeting held on 22ND Sep 2024

**Demands to the Bank Management:**

1. Reservation in promotion to OBC candidates.
2. Withdraw privatisation of public sector undertakings / govt. departments including Banks, LIC, Railways etc.
3. Caste census to be conducted immediately
4. Reservation on Private Sector.
5. To Withdraw the DOPT order dated 06-10-2017 relating to equivalence of posts affecting OBC employees working in public sector banks.
6. To remove Creamy layer concept for OBCs and till such time it is done, the OBC certificate issued by authorities should be valid for a minimum period of 3 years and income ceiling should be revised.

**Demands to the Bank Management:**

1. Management to consider conducting quarterly meetings with OBC association at central office and Zonal / Regional Level.
2. In respect of considering request transfers to our members and giving postings on promotions, we request the Zonal and Regional Managements to act impartially for better co-ordination and co-operation.
3. Transfer policy should be formulated for women officers in banks as per Union Finance Ministry instructions.
4. Relaxations and concessions given to office-bearers of other Associations in transfer policy must be extended to office bearers (both All India and State level) of OBC Welfare Association.

General Secretary
**Dr. Amritanshu**












बैठक में सम्मिलित प्रतिनिधियों के साथ श्री जी0 करूणानिधि

यूनियन बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ, उत्तर प्रदेश के वाराणसी कार्यालय से डॉ0 अमृतांशु, महासचिव के संपादन में प्रकाशित संवाद पत्र एवं परिपत्र
संपर्क : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रिय कार्यालय, चन्द्रा चैम्बर, सिकरौल, वाराणसी. मोबाइल : 9918306777, Email - aiobc.up@gmail.com